प्रेस नोट

दिनांक 17.03.2025, थाना कोतवाली नगर

जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी करके पैसे हड़पने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना को0 नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-165/2025, धारा 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 01. आकाश अग्रवाल पुत्र अशोक कुमार अग्रवाल निवासी 52 दयानन्द नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को लखनऊ मार्ग निकट कचहरी से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी अरविन्द मिश्रा पुत्र सूर्य नारायन मिश्रा निवासी ग्राम गोविन्दधारा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर को सूचना दी की विपक्षी द्वारा अपनी जमीन विक्रय करने के एवज में नगद 48 लाख रूपये व आरटीजीएस व चेक के माध्यम से 30 लाख रूपये खाता में कुल 78,00,000/- रूपये लेकर विक्रय विलेख पेपर पर हस्ताक्षर किया गया तथा विपक्षी कैश रूपये को घर रख कर रजिस्ट्री आफिस आने की बात कह कर गया किन्तु वापस नही आये। तहरीर के आधार थाना को0नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 17.03.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त आकाश अग्रवाल पुत्र अशोक कुमार अग्रवाल निवासी 52 दयानन्द नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को लखनऊ मार्ग निकट कचहरी से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आकाश अग्रवाल पुत्र अशोक कुमार अग्रवाल निवासी 52 दयानन्द नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-165/2025, धारा 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना को0नगर गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 बिपुल कुमार पाण्डेय
02. का0 संदीप कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.03.2025, थाना कोतवाली नगर
जनपद गोण्डा।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना को0 को0नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-131/2025 धारा 333, 115(2), 110, 352, 351(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रिषभ पाण्डेय उर्फ योगेश कुमार पाण्डेय पुत्र अशोक कुमार पाण्डेय निवासी विद्यानगर, थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को बस स्टैण्ड तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी गई कि बच्चो के गेद खेलने को लेकर कहा सुनी होने लगी कि विपक्षीगण लोहे के राड, लाठी डण्डा से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0-131/2025 धारा 333, 115(2), 110, 352, 351(2) बीएनएस बनाम अमित चौहान के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर अभियोग में धारा 117(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। आज दिनांक 17.03.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त रिषभ पाण्डेय उर्फ योगेश कुमार पाण्डेय पुत्र अशोक कुमार पाण्डेय निवासी विद्यानगर, थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को बस स्टैण्ड तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. ऋषभ पाण्डेय उर्फ योगेश कुमार पाण्डेय पुत्र अशोक कुमार पाण्डेय निवासी विद्यानगर, थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-131/2025 धारा 109, 115(2), 117(2), 333, 352, 351(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 मनीष कुमार
02. का0 देव कुमार
03. का0 अवधेश कुमार

अभियुक्त ऋषभ पाण्डेय उर्फ योगेश कुमार पाण्डेय पुत्र अशोक कुमार पाण्डेय का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 009/25 धारा 137(2) बीएनएस थाना मोतीगंज गोंडा।
2. मु0अ0सं0 010/25 धारा 115(2),125,333,351(2)351(3),352 बीएनएस थाना मोतीगंज गोंडा।
3. मु0अ0सं0 264/24 धारा 115(2),126(2),324(2),351(2)351(3),352 बीएनएस थाना मोतीगंज गोंडा।
4. मु0अ0सं0 28/25 धारा 121(1),132,115(2),352, 351(2)(3),324(4)(5),109 बीएनएस व 3(1)द,ध तथा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मोतीगंज गोंडा।
5. मु0अ0सं0 200/20 धारा 406/411 भादवि0 थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।
6. मु0अ0सं0 460/20 धारा 379 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
7. मु0अ0सं0 541/20 धारा 379/411 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
8. मु0अ0सं0 45/18 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना परसारामपुर जनपद बस्ती।
9. मु0अ0सं0 366/20 धारा 411,413,419,420,467,468,471 भादवि0 थाना परसारामपुर जनपद बस्ती।
10. मु0अ0सं0 368/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना परसारामपुर जनपद बस्ती।

मीडिया सेल, गोण्डा।